राजस्व अपील संख्या 501 / 2022

अनवान

नरपत सिंह वगैराह बनाम राज0 राज्य जरिये तहसीलदार सेखाला वगैराह

दिनांक 14–09–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा प्रकरण संख्या ..../2022 अनवान तहसीलदार सेखाला बनाम समस्त गांव लोडता अचलावता में पारित आदेश दिनांक 08.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2022 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 08.06.2022 के क्रम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार सेखाला को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे मौका जॉच करे और मौका रिपोर्ट तैयार करे। उक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी, बालेसर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निस्तारण करे। अगर आवश्यक हो तो पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते को बन्द नहीं किया जावें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर